न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/282

1. राजू उम्र 60 वर्ष आत्मज श्री नेनगा जाति धाकड ।
2. छीतर उम्र 55 वर्ष आत्मज श्री नेनगा जाति धाकड निवासीगण ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारस्या बालिग आत्मज औंकार जाति धाकड निवासी दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. ग्णेश आत्मज औंकार जी बालिग जाति धाकड निवासी ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम दौलाडा तहसील एवं जिला बून्दी में कुल 06 किता की रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व ग्यारसा एवं गणेश का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का

नाम अंकित हो रहा है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण गणेश व ग्यारसा का कोई हिस्सा व कब्जा नहीं है । 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण हैं व इसी रूप में प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है । अप्रार्थीगण ग्यारसा व गणेश की शादी बाल्यावस्था में औंकार के जीवनकाल में ही हो गयी व गणेश ने संयुक्त परिवार को छोड दिया था । ग्यारसा व गणेश के संयुक्त परिवार से अलग हो जाने के पश्चात् संयुक्त परिवार में औंकार व नैनगा जी रह । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार औंकार जी थे । औंकार जी के देहान्त होने के साथ 1/2 हिस्से का कानूनी खातेदार नैनगा जी बन गये । नैनगा जी ने अपने जीवनकाल में एक दावा ग्यारसा व गणेश के विरूद्ध पेश किया था जिसका जवाब ग्यारसा व गणेश ने दिया था जिसमें प्रतिवादी गणेश व ग्यारसा ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया था । अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को न तो स्वयं बेचान करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 02.06.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मार्च, 2018 के द्वितीय सप्ताह में हुई जिस पर अपीलान्ट ने तुरन्त नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 09.04.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है । लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है ।

पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिस पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्टगण द्वारा पेश किया गया है । खातेदार कृषक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्टगण का रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है परन्तु उनका कब्ज नहीं है जो तथ्यों के विपरीत है । संयुक्त खाते की आराजी में कब्जे के आधार पर दावा पेश किया है । अपीलान्ट ने ऐसी कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है जिसमें रेस्पोडेन्ट के हिस्से पर उनका कब्जा प्रमाणित हो । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 327, डीएनजे 2012 (1) राज0 पेज 527, डीएनजे 2015 राज0 पेज 540, डीएनजे 2010 (3) राज0 पेज 1073, डीएनजे 2016 (3) राज0 पेज 1354, डीएनजे 2016 (2) पेज 473 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 18.05.2017 की तारीख दी गई थी और दिनांक 18.05.2017 की आदेशिका में साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 02.06.2017 की तारीख दी गई है । दिनांक 02.06.2017 को लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । न तो अपीलान्टगण की तामील की गई है और न ही जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का

अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा